न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 20 / 2023

राजस्थान सरकार जरिये, श्री खान मोहम्मद खां प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

.......प्रार्थी

बनाम

श्री मैसर्स महक टेन्ट हाउस पुष्कर

श्री सुरजीत सिंह उर्फ सोनू पुत्र श्री गुरूचरण सिह

निवासी पुष्कर नागौर रोड प्रेम प्रकाश आश्रम के सामने, पुष्कर जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री अब्दुल सादीक, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

श्री जगमोहन सेन अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 07.06.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अवैध एलपीजी व्यवसाय पर रोकथाम के आदेश की पालना में दिनांक 11.01.2023 को श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी एवं खान मोहममद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पुष्कर नागौर रोड पर प्रेमप्रकाश आश्रम के सामने मैसर्स महक टेन्ट हाउस पर पहुँचकर जांच दल द्वारा जाचं कार्यवाही की गई। वक्त जांच मौके पर श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री गुरूचरण सिंह, निवासी पुष्कर जिला अजमेर उपस्थित मिला जिन्होने स्वयं को महक टेन्ट हाउस का मालिक होना बताया गया । इन्होने स्वयं का एक नाम सोनू भी बताया गया । वक्त जांच मौके पर टेन्ट हाउस की दुकान में पानी के खाली प्लास्टिक ड्रमों को उल्टा करके घरेलू गैस सिलेण्डर रखे हुए थे एवं साथ ही टेन्ट हाउस के सामान में भी सिलेण्डर इधर उधर दबा के रखे हुए होना पाया गया । टेन्ट हाउस पर विभिन्न कंपनियों के कुल 28 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये जिसमें से कुछ सील बंद तथा अनेक अनसील्ड थे। इनमें से 5 व्यावसायिक 19 किग्रा क्षमता वाले एलपीजी सिलेण्डर तथा 21 घरेलू 14.2 किग्रा क्षमता के एलपीजी सिलेण्डर थे। मौके पर अवैध रूप से भण्डारित पाये गये उक्त कुल 26 एलपीजी सिलेण्डर को मौके पर पुष्कर भारत गैस एजेन्सी, पुष्कर के मैनेजर श्री रोहित चौहान को बुलवाकर प्रमाणित कांटे से वजन कराने पर गैस सिलेण्डरो में कुल 168.5 किग्रा गैस का होना पाया गया । वक्त मौके पर उक्त सिलेण्डरो के पास 11 रिफलिंग जुगाड यंत्र (बांसुरी) व 150 प्लास्टिक केप

जिला कलक्टर
अजमेर

व टूटी सीले भी पाई गई। अतः अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा 26 सिलेण्डरो मय 168.5 किलोग्राम एलपीजी 11 रिफलिंग बासूरी तथा 150 प्लास्टिक कैप व टूटी सीलो को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात हेतु प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिए अधिवक्ता उपस्थित । पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अवैध एलपीजी व्यवसाय पर रोकथाम के आदेश की पालना में दिनांक 11.01.2023 को श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी एवं खान मोहममद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पुष्कर नागौर रोड पर प्रेमप्रकाश आश्रम के सामने मैसर्स महक टेन्ट हाउस पर पहुँचकर जांच दल द्वारा जाचं कार्यवाही की गई। वक्त जांच मौके पर श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री गुरूचरण सिंह, निवासी पुष्कर जिला अजमेर उपस्थित मिला जिन्होने स्वयं को महक टेन्ट हाउस का मालिक होना बताया गया । इन्होने स्वयं का एक नाम सोनू भी बताया गया । वक्त जांच मौके पर टेन्ट हाउस की दुकान में पानी के खाली प्लास्टिक ड्रमों को उल्टा करके घरेलू गैस सिलेण्डर रखे हुए थे एवं साथ ही टेन्ट हाउस के सामान में भी सिलेण्डर इधर उधर दबा के रखे हुए होना पाया गया । टेन्ट हाउस पर विभिन्न कंपनियों के कुल 28 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये जिसमें से कुछ सील बंद तथा अनेक अनसील्ड थे। इनमें से 5 व्यावसायिक 19 किग्रा क्षमता वाले एलपीजी सिलेण्डर तथा 21 घरेलू 14.2 किग्रा क्षमता के एलपीजी सिलेण्डर थे। मौके पर अवैध रूप से भण्डारित पाये गये उक्त कुल 26 एलपीजी सिलेण्डर को मौके पर पुष्कर भारत गैस एजेन्सी, पुष्कर के मैनेजर श्री रोहित चौहान को बुलवाकर प्रमाणित कांटे से वजन कराने पर गैस सिलेण्डरो में कुल 168.5 किग्रा गैस का होना पाया गया । निम्न गैस सिलेण्डर पाए गए ।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	148731–S	IOCL (Sealed)	16.3	28.3	12
2	197797–S	Hpcl (UnSealed)	15.7	15.7	–
3	08058–S	Hpcl (Sealed)	15.7	28.8	13.1
4	149572–T	Bpcl (UnSealed)	15.5	15.5	–
5	906053–T	Bpcl (UnSealed)	15.4	15.4	–
6	923230–B	Bpcl (UnSealed)	15.3	15.3	–
7	54939	Bpcl (UnSealed)	15.5	15.5	–

जिला कलेक्टर
अजमेर

8	044655–E	Bpcl (UnSealed)	16.2	23.2	7
9	178615–T	Bpcl (UnSealed)	15.5	15.5	–
10	975447–S	Bpcl (UnSealed)	15.6	17	1.4
11	46888–T	Bpcl (UnSealed)	16.2	16.2	–
12	36137	Bpcl (UnSealed)	15.3	15.3	–
13	921245–S	Bpcl (UnSealed)	15.8	15.8	–
14	129135–T	Bpcl (UnSealed)	17.1	17.1	–
15	504578–S	Bpcl (UnSealed)	15.7	15.7	–
16	23980–S	Bpcl (Sealed)	15.7	30.7	14.4
17	21980–S	Bpcl (Sealed)	15.6	29.8	14.2
18	022784–S	Bpcl (Sealed)	15.2	28.4	13.2
19	अपठित	Reliance	15	22.3	7.3
20	0436–T	Reliance	15	17	2
21	03555–T	Reliance	16.8	16.8	–
22	अपठित	IOCL (Unsealed) nd	19.5	17.3	17.8
23	18241	Hpcl (Sealed)nd	19.3	17.3	18
24	218165	Hpcl (Sealed)nd	19	29.8	10.8
25	010175–T	Bpcl (Sealed)nd	18.9	38.8	19.9
26	001968–T	Bpcl (Sealed)nd	19.3	36.7	17.4
	Net weight of Gas				168.50

जिला कलक्टर
अजमेर

वक्त मौके पर उक्त सिलेण्डरो के पास 11 रिफलिंग जुगाड यंत्र (बांसुरी) व 150 प्लास्टिक केप व टूटी सीले भी पाई गई। वक्त जांच श्री सुरजीत सिंह द्वारा टैन्ट हाउस के सामान हलवाई के बर्तन इत्यादि के साथ गेस सिलेण्डर भी ग्राहको को मांग अनुसार सप्लाई किया जाना बताया गया । मौके पर अवैध रूप से भण्डारित पाये गये सिलेण्डरो के संदर्भ में श्री सुरजीत सिंह से जांच दल द्वारा दस्तावेज यथा सिलेण्डरो की सप्लाई के बिल वाउचर उपभोक्ता डायरी व अन्य मांगे जाने पर उपलब्ध नही होना बताया गया एवं न ही प्रस्तुत किये गये। इस कारण 26 सिलेण्डरो एवं अन्य सामग्री को राजहित में श्री सुरजीत से जब्त कर पुष्कर भारत गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री रोहित चौहान को सुपुर्दगी में दिए गए। मौके पर प्राप्त साक्ष्यो से प्रथम दृष्टया टेन्ट हाउस पर श्री सुरजीत सिंह का उक्त कृत्य अपने आर्थिक हितो के लिए अवैध रूप से एलपीजी भण्डारण व्यवसाय व रिफलिंग कार्य किया जाकर मानव जीवन को जोखिम एवं दुर्घटना प्रबल संभावना कारक कृत्य किया जाना प्रकट हुआ है। अपार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी. जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (ख) 4 (1)(ख) एवं खण्ड 6(1)क((ग) की अवहेलना किया जाना पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8 एवं 3/10 में दण्डनीय अपराध है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा 26 सिलेण्डरो मय 168.5 किलोग्राम एलपीजी 11 रिफलिंग बासूरी तथा 150 प्लास्टिक कैप व टूटी सीलो को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में उनके अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मेरा टेन्ट हाउस की दुकान का कार्य है मेरे परिवारजन व मेरे मित्रगण व अन्य रिश्तेदार द्वारा गेस एजेन्सियो के सिलेण्डर मेरी दुकान के बाहर गैस एजेन्सियो से लेन देन के लिये रख दिये जाते थे जिससे की मेरे रिश्तेदार, मित्रगण व परिवाजन आकर ले जाते थे वह कार्य में व्यस्थ होने के कारण वह सिलेण्डर एक दो दिन से उक्त सिलेण्डर लेने नही आये जिन्ह मेरी दुकार के बाहर रख दिया था। उक्त सिलेण्डरो से मेरा कोई लेना देना नही था में एक सहायता के रूप में उनकी मदद कर रहा था। उक्त सिलेण्डरो में कुछ खाली व भरे हुये सिलेण्डर मेरी दुकान पर परिवाजन, मित्रगण व रिश्तेदार रख कर चले जाते थे और वह स्वयं ही ले जाते थे, मेरे द्वारा किसी प्रकार की खरीद फरोख्त नही की जाती थी ना ही उक्त सिलेण्डरो से मेरा कोई लेना देना था। अतः उक्त जब्तशुदा सिलेण्डरो के आरोप के कृत्य में मुझे प्रार्थी को दोषमुक्त करने के आदेश फरमाने की कृपा करे और इस प्रकार की पुनरावृति मेरे द्वारा भविष्य में कभी की जावेगी ।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अवैध एलपीजी व्यवसाय पर रोकथाम के आदेश की पालना में दिनांक 11.01.2023 को श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी एवं खान मोहममद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पुष्कर नागौर रोड पर प्रेमप्रकाश आश्रम के सामने मैसर्स महक टेन्ट हाउस पर पहुँचकर जांच दल द्वारा जाचं कार्यवाही की गई। वक्त जांच मौके पर श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री गुरूचरण सिंह, निवासी पुष्कर जिला अजमेर उपस्थित मिला जिन्होने स्वयं को महक टेन्ट हाउस का

जिला कलक्टर
अजमेर

मालिक होना बताया गया । इन्होने स्वयं का एक नाम सोनू भी बताया गया । वक्त जांच मौके पर टेन्ट हाउस की दुकान में पानी के खाली प्लास्टिक ड्रमों को उल्टा करके घरेलू गैस सिलेण्डर रखे हुए थे एवं साथ ही टेन्ट हाउस के सामान में भी सिलेण्डर इधर उधर दबा के रखे हुए होना पाया गया । टेन्ट हाउस पर विभिन्न कंपनियों के कुल 28 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये जिसमें से कुछ सील बंद तथा अनेक अनसील्ड थे। इनमें से 5 व्यावसायिक 19 किग्रा क्षमता वाले एलपीजी सिलेण्डर तथा 21 घरेलू 14.2 किग्रा क्षमता के एलपीजी सिलेण्डर थे। मौके पर उक्त सिलेण्डरो के पास 11 रिफलिंग जुगाड यंत्र (बांसुरी) व 150 प्लास्टिक केप व टूटी सीले भी पाई गई। वक्त जांच श्री सुरजीत सिंह द्वारा टैन्ट हाउस के सामान हलवाई के बर्तन इत्यादि के साथ गेस सिलेण्डर भी ग्राहको को मांग अनुसार सप्लाई किया जाना बताया गया । मौके पर अवैध रूप से भण्डारित पाये गये सिलेण्डरो के संदर्भ में श्री सुरजीत सिंह से जांच दल द्वारा दस्तावेज यथा सिलेण्डरो की सप्लाई के बिल वाउचर उपभोक्ता डायरी व अन्य मांगे जाने पर उपलब्ध नही होना बताया गया एवं न ही प्रस्तुत किये गये। इस कारण 26 सिलेण्डरो एवं अन्य सामग्री को राजहित में श्री सुरजीत से जब्त कर पुष्कर भारत गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री रोहित चौहान को सुपुर्दगी में दिए गए। मौके पर प्राप्त साक्ष्यो से प्रथम दृष्टया टेन्ट हाउस पर श्री सुरजीत सिंह का उक्त कृत्य अपने आर्थिक हितो के लिए अवैध रूप से एलपीजी भण्डारण व्यवसाय व रिफलिंग कार्य किया जाकर मानव जीवन को जोखिम एवं दुर्घटना प्रबल संभावना कारक कृत्य किया जाना प्रकट हुआ है। अपार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (ख) 4 (1)(ख) एवं खण्ड 6(1)क((ग) की अवहेलना किया जाना पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8 एवं 3/10 में दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जेराज लिये गये 26 सिलेण्डरो मय 168.5 किलोग्राम एलपीजी 11 रिफलिंग बासूरी तथा 150 प्लास्टिक कैप व टूटी सीलो को राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर